न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 94 / 2018

1 गोपाल पुत्र मनीराम
2 दीपक पुत्र गोपाल सिंह } जाति धाकड निवासी मुहारी तहसील वैर
3 रमेश पुत्र गिर्राज

.....प्रार्थी

बनाम

बृजमोहन पुत्र मनीराम जाति धाकड निवासी मुहारी तहसील वैर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विरुद्व मुकदमा अदालत उपखण्ड अधिकारी वैर
व मुकदमा मुतफरिक रैवन्य 37 / 18 धारा 212 राज.आरटीएक्ट

———————

निर्णय दिनांक 05.3.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी वैर श्री विशम्बर दयाल के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं। कि एक दावा उपखण्ड अधिकारी वैर के यहां विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी वैर के व्यवहार से दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी वैर से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के

मध्य एक दावा एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन है।प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि दावा एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी दावा को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को निर्णय नहीं होने देना चाहते है । दावा को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है।योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने एस.डी.ओ. वैर द्वारा प्रेषित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि वकील पक्षकारन की तरफ से बहस नहीं करने का कारण निस्तारण नहीं हुआ। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी स्पष्ट है कि विचारधीन दावा वर्ष 2018 का है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर दावा को देरी करने की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की मंशा विचारधीन दावा को देरी करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज रहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी वैर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.3.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official